204

सं० ओ० वि०/अम्बाला/129-85/48049.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. उपायुक्त, अम्बाला शहर, (2) प्रशासन नगरपालिका शाहजादपुर (अम्बाला) के श्रमिक श्री राकेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3-श्रम दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद-ग्रस्त मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राकेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 3 दिसम्बर, 1985

सं० ओ० वि०/सोनीपत/107-82/48973.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० भारत कर्मशियल इंटरप्राजिज, जी.टी. रोड, पोस्ट आफिस बहालगढ़, सोनीपत. के श्रमिक श्री प्रेम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच य तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद के सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

जे० पी० रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 5 नवम्बर, 1985

सं०ओ०वि०/पानी/52-84/44585.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० हरियाणा स्टेट कोपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फैडरेशन लि०, सैक्टर-7, चण्डीगढ़, (2) मैं० हैफ्ड फर्टीलाईजर, जी०टी० रोड, तरावड़ी, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ।

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या, तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं/है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

(1) क्या संस्था में प्रथम उपचार बक्सा-कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए ?

(2) क्या हैफ्ड फर्टीलाईजर प्लांट में कार्यरत स्कीलड अनस्कीलड कामगार साल में टैरीकाट यूनिफार्म दो वर्ष में एक बार गर्म वर्दी एवं एक वूलन जर्सी जिसकी किमत 125 रुपये हो, प्रत्येक दो वर्ष बाद चप्पल और जूता, गर्मी तथा सर्दी के लिए, सिक्ख तथा हिन्दू कर्मचारियों को मार्कफैड पंजाब की प्रचलित प्रथा अनुसार पगड़ी देने की सुविधा लेने के हकदार है? यदि हो तो किस विवरण से ?

(3) क्या प्लान्ट के कार्यरत श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एपरन लेने के हकदार हैं? यदि हां तो किस विवरण से ?

(4) क्या प्लांट में टैकनिकल/सेमी टैकनिकल सभी पद पदोन्नति द्वारा संस्था में कार्यरत श्रमिकों में से भरा जाना चाहिए? यदि हां तो किस विवरण से ?

(5) क्या संस्था के सभी श्रमिक अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश सिकलिव धार्मिक तथा त्यौहारी अवकाश, कानून के अन्तर्गत लेने के हकदार हैं? यदि हां तो किस विवरण से ?

(6) क्या संस्था के श्रमिकों को रात्रि भत्ता 5 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए ? यदि हां तो किस विवरण से ?

(7) क्या श्रमिकों की सेवा में 89 दिवस के पश्चात् एक दिन का ब्रेक देने में की प्रथा को समाप्त करने में कोई औचित्य है? यदि हां तो किस विवरण में ?

(8) क्या प्लांट के सभी श्रमिक गुड़ के हकदार है? यदि हां तो किस विवरण से ?

(9) क्या हैफ्ड फर्टीलाईजर प्लांट तराबड़ी के लबोटरी एटैन्डेन्ट दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से 300—480 रुपये का वेतन मान लेने के हकदार है? यदि हां तो किस विवरण से ?

(10) क्या महिला श्रमिकाओं को उनके पास नाप के अनुसार वर्दी कपड़ा दिया जाना चाहिए ? यदि हां तो किस विवरण से ?

(11) क्या हैफ्ड फर्टीलाईजर प्लांट तराबड़ी के श्रमिक जो दैनिक वेतन कन्सोलिडेटिड पेड/तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं, वे 240 दिन की सेवा अवधि पूर्ण होने पर नियन्त्रित रुप से लगने/पक्का होने के हकदार है? यदि हां तो किस विवरण से ?

(12) क्या संस्था के दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रमिक पहले की तरह वर्ष 1980—81 के बोनस के हकदार है? यदि हां तो किस विवरण से ?

(13) (क) क्या हैफ्ड फर्टीलाईजर प्लांट में कार्यरत हैल्परज नियमित स्केल लेने के हकदार हैं ?

(ख) क्या संस्था के हैल्पर 350—530 का वेतन मान लेने के हकदार हैं ?

(ग) क्या श्रमिकों की उक्त (ख) में दर्शाये गये स्केल की अनुमति प्रदान करने के समय तक दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से श्रमिक 300—480 के वेतन मान के आधार पर वेतन लेने के हकदार है?

(घ) क्या संस्था के श्रमिक 1 अप्रैल, 1979 से पहले के समय के रुपये 70—95 के वेतन मान में वेतन प्राप्त करने के हकदार है? यदि हां तो किस विवरण से ?

दिनांक 13 नवम्बर, 1985.

सं. ओ.वि./अम्बाला/211-84/45866.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नियंत्रक मुद्रण तथा लेकन सामग्री, हरियाणा, चण्डीगढ़, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

206

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं/है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या पंचकुला स्थित आफ सैंट प्रस पंलाट के कर्मचारियों की वरिष्ठता तथा पदोन्नति के नियम चण्डीगढ़ में स्थित गवर्नमैंट आफ इण्डिया प्रैस के नियमों के आधार पर बनाये जाने उचित हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

कुलवन्त सिंह,

वित्तायुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोज़गार विभाग ।

18853CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.